सं. जेड-14014/2/2024-जीसी एण्ड पार्लि.(ई-3013743)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011,

दिनांक: 23.09.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अगस्त, 2024 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को **अगस्त, 2024** माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
2. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा संचार) के निजी सचिव।

<u>भूमि संसाधन विभाग द्वारा माह अगस्त, 2024 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार</u>

1. यह विभाग दो स्कीमों नामतः **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) और डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0** का कार्यान्वयन कर रहा है। डीआईएलआरएमपी स्कीम हेतु वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए 141 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया गया है। डीआईएलआरएमपी के तहत विभिन्न घटकों की संचयी प्रगति इस प्रकार है:

i. भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण - **6.55 लाख** ग्रामों में से **6.25** लाख ग्रामों (95 प्रतिशत) में पूरा किया गया।
ii. रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण- कुल **5,460** (96 प्रतिशत) एसआरओ में से **5,227** एसआरओ में पूरा किया गया।
iii. मानचित्रों का डिजिटीकरण- कुल **2.91 करोड़** (अच्छी स्थिति में) भूकर मानचित्रों/एफ़एमबी और टिप्पनों (77 प्रतिशत) में से **2.23** करोड़ भूकर मानचित्रों/एफ़एमबी/टिप्पनों का डिजिटीकरण किया गया।
iv. राजस्व और रजिस्ट्रीकरण का एकीकरण- कुल **5,460** (89 प्रतिशत) एसआरओ में से **4,835** एसआरओ में पूरा किया गया।

2. माननीया वित्तमंत्री द्वारा वर्ष **2024-25** के लिए अपने **बजट भाषण** में अगली पीढ़ी के सुधारों और आर्थिक कार्यढांचे (फ्रेमवर्क) के भाग के रूप में, **शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में भूमि संबंधी सुधारों और कार्रवाई** की घोषणा की गई। बजट घोषणा के आधार पर, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने **"पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2024-25"** प्रोत्साहन योजना जारी की है इसमें भाग VIIक के तहत ग्रामीण भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण और भाग VIII के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार के लिए प्रत्येक पहल हेतु 5000 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

3. उपरोक्त पहल की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, भूमि संसाधन विभाग ने **अगस्त 2024 में दो क्षेत्रीय सम्मेलनों** का आयोजन किया। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन दिनांक 21 अगस्त 2024 को **मुंबई** में आयोजित किया गया जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्यों ने भाग लिया। दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 31 अगस्त 2024 को **लखनऊ** में आयोजित किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों ने भाग लिया। केन्द्रीय बजट घोषणा के अनुरूप वित्तीय प्रोत्साहन योजना के विवरण पर एक प्रस्तुति दी गई। इन बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के

कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई और मिशन मोड में एक निश्चित समय सीमा के भीतर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई।

4. सचिव (भूमि संसाधन) ने दिनांक 16-17 अगस्त 2024 के दौरान **तेलंगाना राज्य** का दौरा किया। उन्होंने दिनांक 16 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद का दौरा किया तथा उनके साथ विचार-विमर्श किया। सचिव महोदय ने राज्य में **डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन** के संबंध में तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव के साथ भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद में उप-रजिस्ट्रार कार्यालय का दौरा किया ताकि प्रक्रिया में आसानी, पेपर रहित क्रियाकलापों और भूमि अभिलेखों के साथ विरासत संबंधी दस्तावेजों के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय भू सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद का भी दौरा किया।

5. सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में शहरी भूमि अभिलेख कार्यक्रम के आधुनिकीकरण के लिए लागत मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 5 अगस्त 2024 को **कोर तकनीकी सलाहकार समूह** (सीटीएजी) की एक बैठक आयोजित की गई और सीटीएजी द्वारा उक्त को अनुमोदित किया गया। सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में **डीआईएलआरएमपी की परियोजना मंजूरी और निगरानी समिति (पीएसएंडएमसी)** की दो बैठकें दिनांक 5 और 9 अगस्त 2024 को आयोजित की गईं। उक्त बैठक में डीआईएलआरएमपी के तहत सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण घटक और शहरी डिजिटलीकरण कार्यक्रम के तहत जारी स्वीकृति की स्थिति की समीक्षा की गई।

6. सचिव (भूमि संसाधन) द्वारा **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमएसकेवाई 2.0) के वाटरशेड विकास घटक** के कार्यान्वयन के संबंध में झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की गई। विभाग द्वारा दिनांक 5 और 6 अगस्त, 2024 को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए **"स्प्रिंगशेड प्रबंधन"** पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सचिव (भूमि संसाधन) द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2024 को **"रिवार्ड" कार्यक्रम** से संबंधित विश्व बैंक की टीम के साथ एक समीक्षा बैठक की गई।

7. सचिव (भूमि संसाधन) द्वारा भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर फॉर एक्सीलेंस) की स्थापना करने के संबंध में चार संस्थानों के साथ दिनांक 29 अगस्त 2024 को एक बैठक की गई। उक्त विचार-विमर्श में (i) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी, पुणे (ii) भूमि अभिलेख निदेशालय, राजस्व विभाग, असम सरकार (iii) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर और (iv) महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़, संस्थानों ने भाग लिया।

8. **डब्ल्यूडीसी-पीएमएसकेवाई 2.0 स्कीम** के तहत, वर्ष 2024-25 के लिए 2501 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में से राज्यों को (अगस्त 2024 तक) 438.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 901.97 करोड़ (अगस्त 2024 तक) का व्यय किया है।